फाइल संख्या–टी.20014/01/2012–आर.एस0 दिनांक–27.12.2012

प्रक्रियागत परिपत्र संख्या–5 (संशोधित)

सेवा में,

रेल संरक्षा आयुक्त,
पश्चिम/मध्य परिमंडल, मुम्बई,
पूर्व/दक्षिण पूर्व/पूर्वोत्तर सीमांत परिमंडल, कोलकत्ता,
दक्षिण परिमंडल, बंगलुरू
दक्षिण मध्य परिमंडल, सिकन्दराबाद
उत्तर परिमंडल, नई दिल्ली,
पूर्वोत्तर परिमंडल, लखनऊ।

विषयः–रेल दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच।

1. रेल संरक्षा आयुक्त (सीआर.एस) द्वारा रेल दुर्घटना की जांच ऐसे की जानी चाहिए ताकि सभी पक्षकार इसमें शामिल हो सके। रेल दुर्घटना जांच में जनता, जिला/सिविल एवं पुलिस प्रशासन, रेल प्रशासन हैं, जो लाइन के कार्यों एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है, और रेलवे बोर्ड जो रेलवे के लिए नियंत्रक है।

2. जब रेल संरक्षा आयुक्त एक दुर्घटना की जांच करने के लिए निर्णय लेता है, वह जांच करने के संबंध में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, सचिव/रेलवे बोर्ड और संबंधित रेल प्रशासन के प्रमुख को अधिसूचित करेगा और जांच की तारीख, समय और स्थान सुनिश्चित करेगा (रेल दुर्घटना की सांविधिक जांच नियम, 1998 के नियम–2)

3. रेल संरक्षा आयुक्त, सचिव, रेलवे बोर्ड और रेल प्रशासन को अधिसूचित करते समय जांच के दौरान उपस्थित रहने और दुर्घटना से संबंधित मामलों पर, यदि कोई साक्ष्य एवं विचार हो तो उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था के लिए सलाह देगा। आयुक्त, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को रिकार्ड करेगा और जांच के दौरान उनके विचारों को सम्मिलित करेगा।

4. रेल संरक्षा आयुक्त, सचिव, रेलवे बोर्ड, और महाप्रबंधक को जारी किया जाने वाला नोटिस का प्रारूप गंभीर रेल दुर्घटना की जांच हेतु 'रेल दुर्घटना की सांविधिक जांच नियम, 1998 के नियम–2' के अधीन मानकीकृत किया जा चुका है और परिशिष्ट पांच के साथ संलग्न है।

5. रेल संरक्षा आयुक्त जांच में साक्ष्य देने के लिए जनता को मामलों एवं कारणों पर भी सूचना जारी कर सकता है (रेल दुर्घटना की सांविधिक जांच नियम, 1998 के नियम–2) । आयुक्त, जिला, सिविल और पुलिस प्रशासन को भी जांच में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचित करता है। (रेल दुर्घटना की सांविधिक जांच नियम, 1998 के नियम–2–ख)

6. रेल संरक्षा आयुक्त जांच के दौरान गवाहों को बुला सकता है। पक्षकार जांच में अपनी तरफ से साक्ष्यों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार, जांच में रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निश्चित दस्तावेजों या सामग्री साक्ष्य को मंगाया जा सकता है। दूसरी तरफ पक्षकार संगत मामलों पर अपने पक्ष को साबित करने के लिए दस्तावेजों या सामग्री साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

7. जांचों में, साक्ष्य को जांच के दौरान केवल तभी रिकार्ड में किया जा सकता है जब पक्षकार उपस्थित हों। रिकार्ड में लिए जा रहे साक्ष्य की जानकारी जांच में सम्मिलित होने वाले प्राधिकारियों को दी जाती है।

वर्तमान समय में दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात रेल परीक्षण रिपोर्ट सीधे रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा रिकार्ड में लिया जाता है। उचित प्रक्रिया यह है कि साक्ष्य सहित परीक्षण रिपोर्ट केवल जांच के दौरान ही रिकार्ड में लिया जाए और यह सभी पक्षकारों की जानकारी में हो। इस उददेश्य के लिए, सभी पक्षकारों को जांच की तारीख, स्थान एवं केन्द्र की अधिसूचना कई बार प्रेषित किया जाना चाहिए।

पक्षकार साक्ष्य को प्रस्तुत करने और रिकार्ड किए गए साक्ष्य पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए समय भी मांग सकता है। ऐसे मामलों में जांचकर्ता प्राधिकारी साक्ष्य को प्रस्तुत करने या अपने मत को प्रकट करने के लिए पर्याप्त समय को मंजूर कर सकता है।

जांच में शामिल सभी पक्षकारों के साथ जांच के विस्तृत निष्कर्षों एवं सिफारिशों को साझा किया जाना चाहिए तथापि मूल कारणों को जाहिर करना अपेक्षित नहीं है।

8. प्रारूप, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए, संक्षिप्त अनुदेशों के साथ संलग्नक II में दिए गए हैं।

9. पत्र संख्या–आर.एस.–13 टी(7)/84 दि0 07.06.1985 के अनुसार जारी अनुदेशों के अनुसार संक्षिप्त रूप में प्रारंभिक रिपोर्टों के साथ ड्राफ्ट प्रेस सारांश सदैव जारी होने चाहिए। (अनुलग्नक चार पर प्रतिलिपि संलग्न है) किन्तु चूक के स्थान पर, विस्तृत शीर्षक(ख) एवं (ग), कार्यों में भूल का उल्लेख किया जाना चाहिए। परिशोधित विस्तृत शीर्षक निम्नलिखित हैः–

(क) तोड़ फोड़ ;

(ख) गाड़ी कार्यचालन/स्टेशन कार्यचालन/समपार के कार्यचालन इत्यादि में गलतीः

(ग) रेलवे लाइन के पास कार्य/रेल चौराहों से गुजरने इत्यादि में गलती।

(घ) उपस्कर की खराबी, जहां संभावित अनुशासन और उप प्रणाली की संलिप्तता विनिर्दिष्ट हो :

और

(ड़) प्रकृति में अचानक बदलाव।

10. प्रारूप, जिसमें अंतिम रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए, संक्षिप्त अनुदेशों के साथ संलग्न अनुलग्नक–III में दिया गया है।

11. चूँकि, महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड को जांच के दौरान अपने साक्ष्य एवं विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थिति होने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा, अतः रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उनकी अभ्युक्तियाँ/टिप्पणियाँ अपेक्षित नहीं होगी। रेल सरंक्षा आयुक्त, रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा एवं जारी करेगा। रिपोर्ट गोपनीय के रूप में चिन्हित नहीं की जाएगी और इसके लोकार्पण होने के बाद शीघ्र ही रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती।

12. रिपोर्ट में गवाहों एवं अन्य लोगों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा सभी गवाहों के साक्ष्यों के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर होने चाहिए। साक्ष्य की अधिकृत प्रतिलिपि रेल संरक्षा आयुक्त की केस फाइल में रिकार्ड के रूप में रखी जानी चाहिए।

13. दुर्घटना रिपोर्टों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण के लिए प्रक्रिया/समय अनुसूची को परिशोधित किया जा चुका है और संलग्नक I के रूप में संलग्न है।

14. आयोग में आए नए अधिकारियों द्वारा प्रारूप जांच रिपोर्ट निरपवाद रूप से तैयार किया जाना चाहिए और जाँच की अपनी प्रथम तीन रिपोर्टें मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को प्रस्तुत की जाए।

15. बोर्ड के पत्र संख्या–59–टी/वी/42/1 दिनांक 16.02.1967 की प्रति अनुलग्नक VI के रूप में संलग्न है, जिसमें रेलवे के कार्यचालन के दौरान घटित रेल दुर्घटनाओं के कुछ विशिष्ट दृष्टांत दिए गए, जिस पर कुछ संदेह है। ऐसे सभी मामलों में, जांच बाध्यकर है, जब लोग हताहत हो और/या गंभीर रूप से घायल हो, अपवाद के रूप में वैसे मामले होंगे जब स्वयं यात्री की लापरवाही के कारण खिड़की बंद करते समय या खोलते समय विंडो शटर गिर जाए।

16. रेल संरक्षा आयुक्त यथासंभव निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में प्रत्येक वर्ष 1 से 2 दुर्घटनाओं की जांच करेगा, जिसमें जांच बाध्यकारी नहीं है–

(क) मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की टक्कर एवं पटरी से उतरना जिसमें किसी व्यक्ति सहित ऑन ड्यूटी यात्रा करते गाड़ी के क्रू या रेलवे स्टाफ की मौत हो गई हो या गंभीर रूप से घायल हों। ऐसी सभी दुर्घटनाएँ, जिसमें लोगों की मौत हुई हो जांच के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

(ख) मानवयुक्त समपारों पर ऐसी दुर्घटनाएं जिसमें गाड़ियों (ट्रेनों) के बीच भिडंत हो–चाहे मालगाड़ी हो या यात्री गाड़ी हो या सड़क परिवहन हो जिसमें यात्रियों (क्रू और अन्य सहकर्मी) की मौत हो जाए और/या गंभीर रूप से घायल हो।

टिप्पणी– उच्च गति (हाई स्पीड) वाली गाड़ियों की दुर्घटनाओं के मामलों में जब विशिष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होने पर जांच वांछनीय हैं, यद्यपि ऐसी जांच बाध्यकारी नहीं है।

17. जब एक जांच, रेल दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच नियम, 1998 के नियम 2(5)(क) के अनुसार रेलवे को सौंपी जाती है, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिएः–

(क) रेल संरक्षा आयुक्त इस तरह के कदम तभी उठाएंगे जब वह किन्हीं ठोस कारणों से तथा कुछ असाधारण परिस्थितियों जैसे हड़ताल, तोड़–फोड़ इत्यादि के कारण घटना की तारीख (डी+15) से 15 दिनों के भीतर जाँच कर पा रहे हों तथा जहां उन्हे पहले से ही अत्यावश्यक कार्य सौंपे गए हों और वह इस स्थिति में नहीं हों कि वे जाँच कर सकें।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त तत्काल मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को कारणों से अवगत कराएंगे कि क्यों जाँच उनके द्वारा नहीं की जा रही है।

(ग) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा स्वयं या अन्य किसी रेल संरक्षा आयुक्त या रेल प्रशासन के द्वारा जांच करने से संबंधित मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के निर्णय होने के बाद रेल संरक्षा आयुक्त रेल प्रशासन एवं रेलवे बोर्ड को तदनुसार सूचित करेगा।

(घ) रेलवे नियमावली, 1998 (दुर्घटनाओं की सूचनाएं एवं जांच) के नियम 15 के अनुसार रेल प्रशासन के प्रमुख से संयुक्त जांच (रेलवे अधिकारियों की समिति द्वारा की गई) की कार्यवाहियों के प्राप्त होने के बाद, यदि रेल संरक्षा आयुक्त संयुक्त जांच के निष्कर्षों से सहमत हैं, वह रेल प्रशासन को रिपोर्ट की एक प्रति के साथ निष्कर्षों एवं संस्तुतियों पर अपने विचारों की एक प्रति को मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को अग्रसारित करेगा।

(ड). यदि, रेल संरक्षा आयुक्त संयुक्त जांच कार्यवाही के परीक्षण के बाद मानता है कि उसके द्वारा जाँच किया जाना चाहिए तो वह यथासंभव मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेलवे बोर्ड, और संबंधित रेल प्रशासन के प्रमुख को जांच करने के अपने उद्देश्य को अधिसूचित करेगा और ऐसी जांच करने के बाद नियमित जांच रिपोर्ट सौंपेगा।

(च) ऐसे समय में, जब रेल संरक्षा आयुक्त, रेलवे अधिकारियों की जांच रिपोर्ट से असहमत हों तो नये सिरे से जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, रेल संरक्षा आयुक्त अपेक्षित साक्ष्य को इकट्ठा करेंगे और निम्न लाइनों पर स्वतः पूर्ण रिपोर्ट तैयार करेंगे।

(i) हताहतों और हानि के ब्यौरे के साथ दुर्घटना की संक्षिप्त विवरणात्मक रिपोर्ट (दुर्घटना पर विचार देना) ।

(ii) दुर्घटना के लिहाज से संगत स्थानीय विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण

(iii) संयुक्त जाँच रिपोर्ट के विषय सहित सुझावों और संस्तुतियों के उन बिन्दुओं पर संक्षिप्त चर्चा करना जिस पर वह सहमत/असहमत हों। साथ ही सहमति/असहमति के कारणों का भी विवरण दें (यह एक पठनीय प्रारूप में स्वतः पूर्ण होना चाहिए)

(iv) उसके अंतिम निष्कर्ष ।

(v) अभ्युक्तियां और संस्तुतियाँ (संयुक्त जांच रिपोर्ट में जिन्हें स्वीकार किया गया हो) आवश्यकतानुसार आशोधित एवं दुहरायी जा सकती हैं।

टिप्पणी– यह रिपोर्ट स्वतः पूर्ण होनी चाहिए, ताकि अन्य अधिकारियों द्वारा सभी मामले बिना किसी पिछले संदर्भों के समझा जा सके।

(vi) इस रिपोर्ट की प्रति महाप्रबंधक, अन्य रेल संरक्षा आयुक्तों, रेलवे बोर्ड और मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भेजी जाएगी।

हस्ताक्षरित/27.12.12
(प्रशांत कुमार)
मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त

दिनांक–27.12.12

<u>प्रतिलिपिः–</u>

उप रेल संरक्षा आयुक्त(सामान्य)/यांत्रिक/वि.क./परिचालन/सिग्नल एवं दूरसंचार

संलग्नकः–अनुलग्नक–I, II, III, IV, V , VI & VIl

अनुलग्नक–1

फाइल संख्या–टी.20014/01/2012–आर.एस0 दिनांक–27.12.2012

सेवा में,

रेल संरक्षा आयुक्त,
पश्चिम/मध्य परिमंडल, मुम्बई,
पूर्व/दक्षिण पूर्व/पूर्वोत्तर सीमांत परिमंडल, कोलकत्ता,
दक्षिण परिमंडल, बंगलुरू
दक्षिण मध्य परिमंडल, सिकन्दराबाद
उत्तर परिमंडल, नई दिल्ली,
पूर्वोत्तर परिमंडल, लखनऊ।

विषयः– रेल दुर्घटना रिपोर्टों के संकलन और प्रस्तुतीकरण हेतु संशोधित प्रक्रिया/समय अनुसूची।

1. उपरोक्त विषय पर समस्त पूर्व आदेशों में प्रक्रिया/समय अनुसूची रेल दुर्घटना रिपोर्टो के तैयार करने और प्रस्तुतीकरण हेतु निम्न संशोधित प्रक्रिया/समय अनुसूची दी गई हैः–
2. रेल दुर्घटना रिपोर्टों के तैयार करने और प्रस्तुतीकरण हेतु समय अनुसूचियां निम्न प्रकार दी गई हैंः–

(1) दुर्घटना के दिन

(2) (ए+1) रेल संरक्षा आयुक्त दुर्घटना स्थल पर जाएगा और अपनी जांच शुरू करेगा।
(ए+3)

(3) (ए+30) रेल संरक्षा आयुक्त, एक संक्षिप्त प्रारंभिक विवरणात्मक रिपोर्ट तथा अनंतिम निष्कर्ष निम्न को अग्रसारित करेगा–

(क) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त,
(ख) संबंधित रेल महाप्रबंधक
(ग) सचिव, रेलवे बोर्ड

निष्कर्षों को निर्धारित शीर्षकों में से किसी एक के अधीन वर्गीकृत भी करेगा। रेल संरक्षा आयुक्त निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रेस सारांश भी जारी करेगा।

प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि प्रेस सूचना ब्यूरो को भेजी जाएगी।

(4) (ए+180) रेल संरक्षा आयुक्त अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भेजेगा और रेल दुर्घटना में सांविधिक जांच नियम 1998 के नियम 4 में उल्लिखित प्राधिकारियों प्रत्येक की रिपोर्ट की प्रति अग्रसारित करेगा तथा बाद में अनुलग्नक सात में लगी सूची के अनुसार उसी समान प्रति वितरित करेगा।

(5) (ए+270), रेलवे बोर्ड, आयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों पर अपने विचार एवं की गई कार्रवाई को मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को संचारित करेगा।

हस्ताक्षरित/27.12.12
(प्रशांत कुमार)
मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त

अनुलग्नक–2

विषयः– प्रारंभिक रिपोर्ट के प्रारूपण हेतु मार्गदर्शन।

1. प्रारंभिक रिपोर्ट संक्षिप्त, तथ्यपूर्ण होनी चाहिए और किसी व्यक्ति को फंसाने वाले कोई संदर्भ नहीं होंगे।
2. यह ध्यान रखना होगा कि ये रिपोर्ट गोपनीय नहीं है और विभागीय जांचों एवं न्यायालय में पूछी जा सकती है।
3. पहले से चल रहे निम्न संरूप को अपनाया जाना होगा।

अध्याय–1: परिचय

1.1 **उद्देशिका**:– दुर्घटना का संक्षिप्त शीर्षक एवं नियमों के संदर्भ तथा मंत्रालय के आदेश, यदि कोई है, वर्तमान के निम्न रूप में दिए जाने चाहिए।

1.2 **निरीक्षण एवं जांच**–

(क) निरीक्षण की तिथि एवं साथ देने वाले रेल प्रशासनिक अधिकारियों के पदनाम संक्षेप में उल्लिखित होने चाहिए।

(ख) प्रेस अधिसूचना और सिविल एवं पुलिस प्राधिकारियों के लिए संक्षिप्त संदर्भ दिया जाना चाहिए।

(ग) रेल प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और सिविल जिन्होंने जांच में भाग लिया, के नाम और जांच की तारीखें और जांची गई गवाहियों की संख्या दी जानी चाहिए।

(घ) रेल प्रशासन द्वारा सुराग की परिरक्षण की स्थिति दी जा सकती है।

1.3 **"दुर्घटना" का वर्णन**–

(क) इसमें अन्य बातों के साथ–साथ, दुर्घटना का संक्षिप्त ब्यौरा, समय, तारीख, प्रभावित गाड़ियां, दुर्घटना की प्रकृति, दुर्घटना के न्यनूतम चित्रण के साथ गति इत्यादि का होना चाहिए।

(ख) मौसम का स्वरूप।

(ग) हताहत।

(घ) यात्रियों की संख्या।

2–राहत/उपाय

2.1 **सूचना**:– यह संक्षेप में विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि कैसे सूचना भेजी जाए और देरी से बचाव हो।

2.2. **चिकित्सीय सुविधा एवं राहत**–निम्न बिन्दुओं पर चर्चा होनी चाहिए।

(क) क्या ए आर एम ई यान एवं बचाव गाड़ियां समय पर पहुंची और क्या प्रारंभ और पहुंचने में कोई परिहार्य देरी हुई। यदि ऐसा है, रिपोर्ट में ब्यौरे उल्लिखित होने चाहिए।

(ख) क्या सभी चिकित्सीय कार्मिक बिना किसी परिहार्य देरी से ड्यूटी पर पहुंचे।

(ग) घटना स्थल पर घायलों को दी गई चिकित्सा सुविधा और ध्यान देने की प्रकृति तथा क्या उन्हें संभावित देरी के अस्पतालों में पहुंचाया गया।

(घ) क्या कार्मिकों ने यात्रियों पर उचित ध्यान दिया।

(ड) बिना घायल और हल्के घायल व्यक्तियों को भेजने का मृतकों को हटाने के लिए किए गए कार्य।

(च) क्या उपर्युक्त के बारे में कोई जनता की शिकायत है और यदि ऐसा है, क्या प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही है।

टिप्पणी:– उपरोक्त के संबंध में ज्यादातर सूचनाएं केवल रेल प्रशासन से उपलब्ध हो सकती हैं, किन्तु उनकी छानबीन होनी चाहिए तथा उपलब्ध बाहरी गवाहियों के साक्ष्यों की क्रास जांच की जाए।

2.3 **पुनःस्थापन**:–

क. किसी परिहार्य देरी पर टिप्पणियों के साथ संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

ख. गाड़ी सेवाओं पर दुर्घटना का प्रभाव संक्षिप्त रूप में दिया जा सकता है।

3. गाड़ियां

3.1 संगठन और गाड़ी का विन्यास–

(1) इंजन– प्रकार का संक्षिप्त ब्यौरा, शुरू करने की तारीख, इसका वजन एवं लम्बाई दिया जाना चाहिए। इंजन में उपलब्ध ब्रेकों का प्रकार तथा इंजन पर ब्रेक क्षमता के ब्यौरे के साथ गति रिकार्डर/संकेतों को दिया जाना चाहिए।

(2) डिब्बे:– निम्न प्रोफार्मा में संगठन का ब्यौरा दिया जाए:–

क्रम सं0	डिब्बा संख्या	प्रकार	निर्माण वर्ष	अंतिम पीओडी की तारीख	अभ्युक्ति

3.2 इंजन सहित गाड़ी की लम्बाई और इसका वजन, ब्रेक क्षमता का ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

3.3 बैठने की क्षमता और वास्तविक व्यवसाय इंगित किया जाए।

3.4 क्षति एवं प्रवृत्ति:–

(क) इंजन:– संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाए।

(ख) डिब्बे:– निम्न प्रोफार्मा में ब्यौरा दिया जाए।

क्रम सं0	डिब्बों की संख्या	प्रवृत्ति	क्षति (संक्षिप्त ब्यौरा)		

(ग) रेलपथ की क्षति।

(घ) सिगनैलिंग इत्यादि की क्षति।

(ड) ओ एच ई की क्षति।

(च) अन्य किसी सम्पत्ति की क्षति।

(छ) क्षति की अनुमानित कीमत।

4. **<u>स्थानीय स्थितिः–</u>**

4.1 **खण्ड और स्थलः–**

(क) स्थल का संक्षिप्त ब्यौरा।

(ख) रेलपथ का संक्षिप्त ब्यौरा।

(ग) सिगनैलिंग का संक्षिप्त ब्यौरा।

4.2 डीईएन, ए ईएन, पी वी आई, नियंत्रण इत्यादि के मुख्यालय।

4.3 कार्य करने की प्रणालीः– दुर्घटना से संबंधित संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

4.4 अधिकतम गति अनुमत एवं स्थानीय प्रतिबंध, यदि कोई है।

4.5 रिपोर्ट में स्टेशनों/स्थानों की दूरी कि0मी0 में दर्शायी जाए।

टिप्पणीः– केवल दुर्घटना से संगत ब्यौरे सावधानी एवं परवाह के साथ दिए जाने चाहिए।

5. **<u>प्रमुख विशेषताएंः–</u>**

इसमें रेल संरक्षा आयुक्त के विचार और प्रेक्षण होंगे, जो सिद्व कर सकते और जो मार्गदर्शक होंगे या इसके प्रारंभिक/पूर्ण निष्कर्षों के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। यहां वह तथ्यों इत्यादि (वास्तविक) को भी उल्लिखित कर सकते, जिसे उन्होंने दुर्घटना के संगत माना है।

6. **<u>प्रारंभिक निष्कर्ष</u>–**

यदि आयुक्त ने दुर्घटना के कारण के लिए कोई निष्कर्ष या विचार बनाए हैं, उनको भी उसी फारमेट में होना चाहिए जिसमें प्रेस टिप्पणी जारी की गई है। ऐसे निष्कर्षो या विचारों को केवल अस्थायी माने जाएंगे। यदि रेल संरक्षा आयुक्त इसे कारण के लिए विस्तृत निष्कर्ष देना आवश्यक मानता है, वह इसे मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, संबंधित महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट के तारतम्य में अलग से और गोपनीय लिख सकता है।

7. **<u>संस्तुतियां</u>–**

जब आयुक्त किसी संस्तुति को तत्काल आवश्यक मानता है, वह अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसी संस्तुति को सम्मिलित कर सकता है।

विषयः– **दुर्घटना जांच रिपोर्टों (अंतिम रिपोर्टों) के प्रारूपण हेतु दिशा निर्देश) ।**

1. रेल संरक्षा आयुक्तों की रिपोर्टें भारत और विदेश के बहुत से प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं ।
2. रिपोर्ट संक्षिप्त एवं अच्छी तथा लगातार पढ़ने वाला विषय जो पढ़ने वाले को शुरू से अन्त तक ध्यान आकर्षित करना वाला होना चाहिए। पुनरावृत्ति यथासम्भव परिहार्य होनी चाहिए।
3. अंतिम रिपोर्ट अन्यों से प्राप्त हल्की टिप्पणियों में सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए और सारांशों और अभिव्यक्त संबंधित सर्वोत्तम प्रस्तुतीकरण होना चाहिए।
4. किसी सामान्य या सहायक नियमों के सार जिसके रिपोर्ट के संदर्भ में दिये जाने हैं, तत्काल संदर्भ के लिए उन्हें अनुलग्नक के रूप में संलग्न होने चाहिए।
5. इसी सामान, रेलवे बोर्ड या रेल प्रशासन के किसी निर्देश के लिए किसी माामले में संदर्भ दिया जाना है, संगत पत्र की प्रति अनुलग्नक के रूप में सम्मिलित की जानी चाहिए।
6. रिपोर्ट में प्रयुक्त संक्षिप्तियों का पूर्ण रूप में सूची दी जानी चाहिए।
7. रेल संरक्षा आयुक्त के उप रेल संरक्षा आयुक्त एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त तकनीकी राय को संज्ञान में लाया जा सकता परंतु मुख्य रिपोर्ट का भाग के रूप में या अनुलग्नक के रूप में नहीं होना चाहिए।
8. विभिन्न खण्डों और अंशों को निर्धारित संरूप के अनुसार संख्या दी जानी चाहिए।
9. निम्न पहले से प्रयुक्त संरूप को लागू किया जाना चाहिएः–

अध्याय–1: परिचय

1.1 **उद्देषिका**:– दुर्घटना का संक्षिप्त शीर्षक एवं नियमों के संदर्भ तथा मंत्रालय के आदेश, यदि कोई है, वर्तमान के निम्न रूप में दिए जाने चाहिए।

1.2 **निरीक्षण एवं जांच**–

(क) निरीक्षण की तिथि एवं साथ देने वाले रेल प्रशासनिक अधिकारियों के पदनाम संक्षेप में उल्लिखित होने चाहिए। (प्रेक्षणों के ब्यौरे यहां देना आवश्यक नहीं है, इसी सामान यह ''प्रेक्षण एवं परीक्षण'' अध्याय के अंतर्गत आते हैं।)

(ख) प्रेस अधिसूचना और सिविल एवं पुलिस प्राधिकारियों के लिए संक्षिप्त संदर्भ दिया जाना चाहिए।

(ग) रेल प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और सिविल जिन्होंने जांच में भाग लिया, के नाम और जांच की तारीखें और जांची गई गवाहियों की संख्या दी जानी चाहिए।

(घ) रिपोर्ट में प्रयुक्त संक्षिप्तियों और निबंधन की व्याख्या की जाए।

1.3 **"दुर्घटना" का वर्णन**–

क. इसमें अन्य बातों के साथ–साथ, दुर्घटना का संक्षिप्त ब्यौरा, समय, तारीख, प्रभावित गाड़ियां, दुर्घटना की प्रकृति, दुर्घटना के न्यनूतम चित्रण के साथ गति इत्यादि का होना चाहिए।

ख. मौसम का स्वरूप।

ग. हताहत।

राहत/उपाय

2.1 **सूचना**:– यह संक्षेप में विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि कैसे सूचना भेजी जाए और कोई परिहार्य देरी हुई ।

2.2. **चिकित्सीय सुविधा एवं राहत**–निम्न बिन्दुओं पर चर्चा होनी चाहिए।

(क) क्या ए आर एम ई यान एवं बचाव गाड़ियां समय पर पहुंची और क्या प्रारंभ और पहुंचने में कोई परिहार्य देरी हुई। यदि ऐसा है, रिपोर्ट में ब्यौरे उल्लिखित होने चाहिए।

(ख) क्या सभी चिकित्सीय कार्मिक बिना किसी परिहार्य देरी से ड्यूटी पर पहुंचे।

(ग) घटना स्थल पर घायलों को दी गई चिकित्सा सुविधा और ध्यान देने की प्रकृति तथा क्या उन्हें संभावित देरी के अस्पतालों में पहुंचाया गया।

(घ) क्या कार्मिकों ने यात्रियों पर उचित ध्यान दिया।

(ड) बिना घायल और हल्के घायल व्यक्तियों को भेजने का मृतकों को हटाने के लिए किए गए कार्य।

(च) क्या उपर्युक्त के बारे में कोई जनता की शिकायत है और यदि ऐसा है, क्या प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही है।

टिप्पणी:– उपरोक्त के संबंध में ज्यादातर सूचनाएं केवल रेल प्रशासन से उपलब्ध हो सकती हैं, किन्तु उनकी छानबीन होनी चाहिए तथा उपलब्ध बाहरी गवाहियों के साक्ष्यों की क्रांस जांच की जाए।

2.3 **पुनःस्थापन**:–

(क) किसी परिहार्य देरी पर टिप्पणियों के साथ संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

(ख) गाड़ी सेवाओं पर दुर्घटना का प्रभाव संक्षिप्त रूप में दिया जा सकता है।

3. गाड़ियां

3.1 **संगठन और गाड़ी का विन्यास**–

1. **इंजन**– प्रकार का संक्षिप्त ब्यौरा, शुरू करने की तारीख, इसका वजन एवं लम्बाई दिया जाना चाहिए। इंजन में उपलब्ध ब्रेकों का प्रकार तथा इंजन पर ब्रेक क्षमता के ब्यौरे के साथ गति रिकार्डर/संकेतों को दिया जाना चाहिए।
2. **डिब्बे**:– निम्न प्रोफार्मा में संगठन का ब्यौरा दिया जाए:–

क्रम सं0	डिब्बा संख्या	प्रकार	निर्माण वर्ष	अंतिम पीओडी की तारीख	अभ्युक्ति

3.2 इंजन सहित गाड़ी की लम्बाई और इसका वजन, ब्रेक क्षमता का ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

3.3 बैठने की क्षमता और वास्तविक व्यवसाय इंगित किया जाए।

3.4 **क्षति एवं प्रवृत्तिः–**

(क) इंजनः– संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाए।

(ख) डिब्बेः– निम्न प्रोफार्मा में ब्यौरा दिया जाए।

क्रम सं0	डिब्बों की संख्या	प्रवृत्ति	क्षति (संक्षिप्त ब्यौरा)

(ग) रेलपथ की क्षति।

(घ) सिगनैलिंग इत्यादि की क्षति।

(ड) ओ एच ई की क्षति।

(च) अन्य किसी सम्पत्ति की क्षति।

(छ) क्षति की अनुमानित कीमत।

4. **स्थानीय स्थितिः–**

4.1 खण्ड और स्थलः–

(क) स्थल का संक्षिप्त ब्यौरा।

(ख) रेलपथ का संक्षिप्त ब्यौरा।

(ग) सिगनैलिंग का संक्षिप्त ब्यौरा।

4.2 डीईएन, ए ईएन, पी वी आई, नियंत्रण इत्यादि के मुख्यालय।

4.3 कार्य करने की प्रणालीः– दुर्घटना के संबंधित संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

4.4 अधिकतम गति अनुमत एवं स्थानीय प्रतिबंध, यदि कोई है।

4.5 रिपोर्ट में स्टेशनों/स्थानों की दूरी कि0मी0 में दर्शायी जाए।

टिप्पणीः– केवल दुर्घटना से संगत ब्यौरे सावधानी एवं परवाह के साथ दिए जाने चाहिए।

5. **साक्ष्यों का सारांशः–**

5.1 दुर्घटना के कारण पर होने वाले सभी संगत साक्ष्य (रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा आये दोनों सापेक्ष एवं विरूद्व निष्कर्षों) की आयुक्त द्वारा जांच की जानी चाहिए। प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य अंकित होने चाहिए और आयुक्त की प्रकरण फाइल में अलग से गोपनीय रिकार्ड में रखी जाए। साक्षी की पहचान सुरक्षित होनी चाहिए। साक्ष्य, जो जांच के संगत हैं, उप पैराग्राफ (क,ख,ग इत्यादि) के साथ पदनाम द्वारा सारांश में होनी चाहिए। राहत उपाय और सुरक्षा यथासम्भव संक्षिप्त सार में होनी चाहिए। प्रत्येक उप अंश गति, गतिमापक, गति प्रतिबंध, ग्रेडस, सिगनल दृश्यता, ब्रेकिंग एक उप अंश में आ सकती। गवाहियों के साक्ष्य अंश संख्या 5.1, 5.2 इत्यादि में आयेंगे किंतु नाम से नहीं होंगे। उप अंश तत्काल संदर्भ के लिए क, ख, ग इत्यादि हो सकते।

सभी गवाहियों के साक्ष्य जांच के दौरान जांची जाए और रिकार्ड में रखी जानी चाहिए।

6–परीक्षण और प्रेक्षणः–

केवल जांच के संगत है उन्हें स्थान दिया जाना चाहिए। कोई भी प्रयुक्त संकेतन की व्याख्या होनी चाहिए। अंश 6.1, 6.2 इत्यादि में संख्याकित होने चाहिए।

7– विचार–विमर्शः–

मदों को गठित किए जाने चाहिए और विचार–विमर्श गहराई से किंतु संक्षेप में किए जाए। सभी पक्ष और विपक्ष विशेष निष्कर्ष में सभी बिन्दु चर्चा में आने चाहिए तथा निष्कर्ष सुसंगत तर्कों पर आधारित होने चाहिए। पैराग्राफ 7.1, 7.2 इत्यादि में संख्यावत होने चाहिए।

यह चर्चा होनी चाहिए कि क्या दुर्घटना अन्य किसी कार्रवाई से रोकी जा सकती है।

कार्य प्रणाली में अपर्याप्तता भी स्वतंत्र रूप से बहस में लानी चाहिए।

8–निष्कर्षः–

यह दो भागों में निम्नप्रकार होना चाहिएः–

8.1 **कारणः–** संक्षिप्त और वर्तमान शब्दों में व्यक्त होना चाहिए।

8.2 **उत्तरदायित्वः**– कार्य में चूक जैसे उत्तरदायी कारकों या नियमों का उल्लंघन संक्षेप में दिए जाने चाहिए, ब्यौरे अध्याय 7 में आए। यदि दुर्घटना के कारण के लिए किसी व्यक्तिगत की कार्य में चूक का उल्लेख करना अनिवार्य है, तब यह पदनाम या अन्य परिचय में होना चाहिए, किंतु किसी नाम में नहीं।

8.3 **बचाव उपायः**–रेल संरक्षा आयुक्त की राय, क्या बचाव उपाय संतोषपूर्ण थे या नहीं, संक्षेप में व्यक्ति किए जाए और अध्याय 2 में लाए जाए।

9. अभ्युक्तियां और संस्तुतियांः–

9.1 इन्हें 9.1, 9.2 इत्यादि के रूप में संख्याकित होने चाहिए।

9.2 इस अध्याय के अंतर्गत केवल बहुत महत्वपूर्ण मामले आने चाहिए। रेलवे को लघु मामलों पर अलग से पत्र जारी किया जा सकता है।

9.3 अभ्युक्तियां और संस्तुतियां यथासम्भव स्वतः व्यख्यागत होनी चाहिए तथा रिपोर्ट में अन्य पैरा के लिए संक्षिप्त, क्रास संदर्भ सम्भावित स्तर तक हटाए जाए, जब तक बहुत लम्बा और अव्यवस्थित पृष्ठभूमि सामग्री नहीं खोजी जाती।

9.4 संस्तुतियां, कार्यान्वयन के लिए तार्किक रूप से सक्षम होनी चाहिए तथा आदर्शत्व के साथ नीरस न हो।

अनुलग्नक–4

विषयः–रेल दुर्घटनाओं में प्रेस टिप्पणी का जारी करना।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, सभी दुर्घटनाओं में जिसमें जनहानि हुई या तोड़फोड़ के कारण दुर्घटना में हताहत हुए, में आयुक्तों द्वारा प्रेस टिप्पणी जारी की जाती है। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रेस टिप्पणी जारी की जाती है और दुर्घटना की संक्षिप्त तथ्यात्मक ब्यौरे, हताहतों तथा निम्न विस्तृत शीर्षक में से किसी एक के अंतर्गत दुर्घटना के कारण के अनुसार रेल संरक्षा आयुक्त के निष्कर्षों को दर्शाती है।

(क) तोड़ फोड;

(ख) गाड़ी कार्यचालन/स्टेशन कार्यचालन/समपार के कार्यचालन इत्यादि में चूक;

(ग) रेलवे लाइन के पास कार्य/समपार को पार करते समय इत्यादि में चूक;

(घ) उपस्कर की विफलता, जहां कहीं क्षेत्र की सम्भावना दर्शाते हुए और उप प्रणाली शामिल; और

(ड़) अचानक मौसम में बदलाव;

2. उपरोक्त शीर्षक का पुनरीक्षण किया जा चुका है ताकि व्यक्तिगत विफलता को हटाना और केवल चूक को बताना है। अभिव्यक्त, ''रेलवे स्टाफ की विफलता'' का अर्थ है, रेल कार्यचालन में शामिल रेलवे स्टाफ के कारण चूक को बताता है, अभिव्यक्त, ''रेलवे स्टाफ के इतर अन्य व्यक्तियों की विफलता'' किसी बाहरी व्यक्ति की गतिविधि से संबंधित है, जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई थी।

3. शीर्षक जिसके अंतर्गत प्रारंभिक निष्कर्ष जिन्हें वर्गीकृत किया जाना, निम्न प्रकार होंगेः–

(क) तोड़ फोड़;

(ख) गाड़ी कार्यचालन/स्टेशन कार्यचालन/समपार का कार्यचालन इत्यादि में चूक;

(ग) रेलवे लाइन के समीप कार्यचालन/समपार को पार करना इत्यादि में चूक;

(घ) उपस्कर की विफलता, विनिर्दिष्ट हो, जहां सम्भव हो, विशेषता, क्षेत्र और उप प्रणाली सम्मिलित; और

(ड़) अचानक मौसम में बदलाव;

4. रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा जारी प्रेस टिप्पणी की प्रतिलिपि इस कार्यालय, सचिव (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित रेल प्रशासन को भी सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाए।

फाइल संख्या–टी.20014 / 01 / 2012–आर.एस0

(नमूना)
प्रेस टिप्पणी

श्री..... रेल संरक्षा आयुक्त, ... परिमंडल, ... में सांविधिक जांच करेगे जो दिनांक..... को ..... रेलवे के ..... और ..... स्टेशनों के बीच घटित हुई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप ..... व्यक्तियों की मृत्यु और ..... घायल ..... गंभीर रूप से घायल हुए थे।

प्रारंभिक रिपोर्ट के साथ आयुक्त की अनंतिम निष्कर्ष जोड़े गए है के अनुसार ..... के कारण दुर्घटना घटित हुई। ये निष्कर्ष सरकार के विचाराधीन है।

———————————————————————————————————————

:– पत्र के पैरा 1 में अनुलग्नक–4 पर पांच बड़े शीर्षकों का एक दिया गया है उसे यहां उल्लिखित किया जाना चाहिए।

<u>अनुलग्नक–5</u>

<u>नोटिस</u>

वर्गः फैक्स   स्थानः   दिनांक–

चीफ काम/लखनऊ   0522–2233095
रेलवे/नई दिल्ली   011–23386215
रेल प्रशासन (संबंधित)

संख्या.. मैं दिनांक .... को .... बजे ....(स्थान) पर (दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन) में सांविधिक जांच करूंगा।

2. रेलवे बोर्ड को इस उददेश्य के लिए उनके द्वारा अधिकृत कुछ अधिकारी द्वारा जांच में सम्मिलित होने की सलाह दी जाती है।

3. महाप्रबंधक, ... रेलवे को इस उद्देश्य के लिए .... द्वारा अधिकृत कुछ अधिका री द्वारा जांच में .... स्वयं सम्मिलित होने की सलाह दी जाती है।

हस्ताक्षर
संबंधित
रेल संरक्षा आयुक्त
..................परिमंडल

समस्त भारतीय सरकार के रेलवे के महाप्रबंधकों को संबोधित उप निदेशक/संरक्षा, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली से पत्र संख्या–59–टीटीवी/42/1 दिनांक 16.02.1967 की प्रति।

संदर्भः–रेलवे (दुर्घटनाओं में जांच की नोटिसें) नियम, 1966।

बोर्ड के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ रेलवे ''रेलवे के कार्यचालन के दौरान'' वाक्यांश का ठीक–ठाक अर्थ नहीं जानते हैं, जो मंत्रालय के अनुसार उनकी अधिसूचना संख्या–59–टीटीवी/42/1 दिनांक 11.04.1966 द्वारा अधिसूचित कुछ नियमों में घटित होती है। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा दिए गए प्ररूपी उदाहरण जिन पर पूर्व में संदेह अभिव्यक्त हो चुके, निम्नलिखित हैं।

(1) बम इत्यादि की गाड़ी के अंदर या बाहर फटने के कारण विस्फोट का होना, जिससे यात्री हताहत हुए, जब
   (क) गाड़ी चल रही है, और
   (ख) गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है।

(2) यात्रियों से पूरी भरी यात्री रेक साइड में बफर स्टाक या अन्य वाहन से टकराना जिससे यात्रियों का घायल होना।

(3) शन्टिग इंजन साइड या प्लेटफार्म लाइन से सवारी रेक से टकराता जिसके कारण रेक के यात्रियों की मृत्यु या घायल होना।

(4) डिब्बे के दरवाजे (चलती गाड़ी के अन्दर) पर खड़े यात्री का प्रभावित होना और अतिलंघित बाहरी संरचना के प्रतिघात प्रभाव के कारण खुले दरवाजे से यात्री का गंभीर रूप से घायल होना।

(5) डिब्बे में खिड़की के पास बैठे यात्री का अतिलंघित रचना से टकराना और घायल होना।

(6) आग लगने के डर से गाड़ी के बाहर कूदने से यात्रियों का घायल होना।

(7) विन्डो शटर के गिरने से यात्रियों का गंभीर रूप से घायल होना।

(8) गाड़ी डिब्बा में विन्डो सिल पर कोहनी रखकर बैठे यात्री का समपार पर सड़क वाहन के रगड़ने से घायल होना।

कृपया यह नोट किया जाए कि ऐसी सभी सम्भाव्यताएं ''रेलवे के कार्यचालन के दौरान'' वाक्यांश द्वारा पूरी होगी किंतु रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच किया जाना बाध्यकर होगी या नहीं, यह प्रत्येक मामले की खूबी पर निर्भर होगा। इसलिए ऐसे सभी मामलों में संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त की अभिनिश्चितता पर निर्भर होगा कि जांच करने का इरादा है या नहीं।

यह भी इच्छित है कि जब कभी पुलिस दुर्घटना में शामिल किसी रेलवे स्टाफ के खिलाफ अपराधिक न्यायालय में मामला दर्ज कराता है जो मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त/रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जाती/की जा चुकी है, जांच अधिकारी इस तथ्य को सलाह देगा जैसे ही यह रेल प्रशासन की जानकारी में आता है।

यह ऐच्छिक है कि नियम 8(5) के अधीन रेल प्रशासन द्वारा एक दुर्घटना की जांच की जाती है, जांच अधिकारी ऐसे मामलों में कनिष्ठ/इन्टरमीडियट प्रशासनिक पदक्रम के ओहदे का ध्यान रखेगा/कृपया पावती दें।

अनुलग्नक–7

विषयः– **रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट का वितरण।**

दिनांक 7 एवं 8 अप्रैल, 1994 को सम्पन्न हुए रेल संरक्षा आयुक्त सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार और पत्र संख्या–एस.18011/1/94–आर.एस दि0 04.05.1994 के अनुसार बैठक की कार्यवृत्त के मद 3.25, पत्र संख्या–एस.17011/2/98–आर.एस दि0 09.11.1998 तथा पत्र संख्या–एस. 17011/3/99–आर.एस दि0 05.06.2000 को संचारित किए गए के अनुसार दुर्घटना रिपोर्ट निम्न सूची के अनुसार वितरित की जानी हैः–

कार्यालय	रिपोर्टों की संख्या
1. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त	04
2. संबंधित महाप्रबंधक	10
3. रेलवे बोर्ड	12
4. अन्य क्षेत्रीय रेलवे, कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, केआरसीएल	19
5. रेल संरक्षा आयुक्तों (1 प्रत्येक)	08
6. अनु.अधि. एवं मा. संगठन	01
7. संबंधित प्रशिक्षण संस्थाएं	05
8. स्टाफ कालेज, बड़ोदरा	01
9. अतिरिक्त प्रतियां	10
कुल	70

संख्या–टी.20014 / 01 / 2012–आर.एस0 दिनांक–27.12.2012

सेवा में,

रेल संरक्षा आयुक्त,

पश्चिम / मध्य परिमंडल, मुम्बई,

पूर्व / दक्षिण पूर्व / पूर्वोत्तर सीमांत परिमंडल, कोलकत्ता,

दक्षिण परिमंडल, बंगलुरू

दक्षिण मध्य परिमंडल, सिकन्दराबाद

उत्तर परिमंडल, नई दिल्ली,

पूर्वोत्तर परिमंडल, लखनऊ।

विषयः– दुर्घटनाओं की सांविधिक जांचों के परिणामों की सूचना भेजना–प्रारंभिक रिपोर्ट एवं उन पर आधारित प्रेस टिप्पणियां का जारी करना।

1. प्रारंभिक रिपोर्टों के समाहित / अनंतिम निष्कर्ष प्रेस टिप्पणियों को जारी करने के उद्देश्य हेतु निम्न निर्धारित शीर्षकों में से किसी एक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैंः–

क) तोड़ फोड़

(ख) रेलवे स्टाफ की विफलताः

(ग) रेलवे स्टाफ के इतर अन्य व्यक्तियों की विफलताः

(घ) उपस्कर की विफलता, जहां कहीं क्षेत्र की सम्भावना दर्शाते हुए और उप प्रणाली शामिल, और

(ड़) अचानक मौसम में बदलाव

1.1 उपरोक्त शीर्षकों का पुनरीक्षण किया जा चुका है ताकि व्यक्तिगत विफलता को हटाना और केवल चूक को बताना है। उपरोक्त (ख) मद में, अभिव्यक्त, रेलवे स्टाफ की विफलता, कार्यसंचालन में शामिल रेलवे स्टाफ की चूक के कारण को विस्तार से दर्शाता है, मद (ग) अभिव्यक्त, रेलवे स्टाफ के इतर अन्य व्यक्तियों की विफलता, बाहरी व्यक्ति की गतिविधि को दर्शाता है जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई।

2. शीर्षक जिसके अंतर्गत प्रारंभिक निष्कर्ष जिन्हें वर्गीकृत किया जाना, निम्न प्रकार होंगेः–

क) तोड़ फोड़

(ख) गाड़ी कार्यचालन/स्टेशन कार्यचालन/समपार के कार्यचालन इत्यादि में चूकः

(ग) रेलवे लाइन के समीप कार्यचालन/समपार को पार करना इत्यादि में चूक।

(घ) उपस्कर की विफलता, जहां कहीं क्षेत्र की संभावना दर्शाते हुए और उप प्रणाली सम्मिलित, और

(ड़) अचानक मौसम में बदलाव

3. मद (ड़) के अंतर्गत निष्कर्ष, अचानक मौसम में बदलाव के कारण दुर्घटना को दर्शाता, जो पहले नहीं देखा जा सकता। इन मामलों में, प्राकृतिक घटक, जिससे दुर्घटना होती है, स्पष्टता के लिए किया जाना होगा।

हस्ताक्षरित
(प्रशांत कुमार)
मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त